



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारूप - "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप -

हम डॉ. रमेश कुमार गिरा (नाम अध्यक्ष) व एडिटर रमेश
(नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव डॉ. लिला लालेती डिप्लोमा इन फार्मेसी सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता), रमेश रमेश आवासगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं कि -

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा डॉ. रमेश अनील फार्मेसी कालेज (संस्था का नाम एवं पता) आलापुर, चेन्नई, तमिलनाडु, नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्वापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम डॉ. रमेश (पता जहां पर भूमि स्थित है) में गाठा संख्या 416 एवं रक्कम क्रमशः ०.८३४६ एवं हेक्टेयर (कुल रक्कम २.१७३ रुपये / हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी व्यावालय में नहीं चल रहा, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या 416 एवं रक्कम क्रमशः ०.८३४६ एवं हेक्टेयर (कुल रक्कम २.१७३ रुपये / हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्वापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक ०७.०८.२०२२, द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्रयगत डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निरीक्षण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निधारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, संस्था में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रबोधन क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०प्र० सालानक से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य पारिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/विश्वविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक ब्लास्ट रुम, ग्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुविभिन्न किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सज्ज प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत विदेशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं समादृता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा चुटिपूर्ण प्राप्त जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

१० संवित् २०११।८०३

S.M.
२०-१-२३
१० अध्यक्ष

